Registered AD

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।

क्रमांक :– पी.एफ.(च.श्रे.क.)सपआम/ दिनांकः

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सचिवालय केम्पस,
जयपुर–302005

विषय : – **नोटिस का प्रकाशन कराने बाबत् ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नोटिस क्रमांक :– पी.एफ.(च.श्रे.क.)सपआम/2312 दिनांक 19-08-2017 की चार प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसका प्रकाशन बीकानेर से प्रकाशित होने वाले क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर के एक–एक समाचार पत्र में कराने की व्यवस्था करावें।

राज्य सरकार के मितव्ययता के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नोटस को संक्षिप्त स्थान में प्रकाशित करने हेतु समाचार पत्रों को कृपया निर्देश जारी करावें।

भवदीय,

संलग्न : – नोटिस(4 प्रतियों में)

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
स0प0आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
बीकानेर

क्रमांक :– पी.एफ.(च.श्रे.क.)सपआम/ 2312 दिनांकः 19-08-2017

प्रतिलिपि नोडल अधिकारी (आई.टी) को संलग्न नोटिस महाविद्यालय की वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– नोटिस

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
स0प0आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
बीकानेर

राजस्थान.सरकार

## कार्यालय प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर ।

कमांक :– पी.एफ.(च.श्रे.क.)सपआम/ 2312 दिनांक : 19-08-2017

नोटिस वास्ते **श्रीमती सुमन कंवर** पत्नी स्व. श्री नरपत सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।

श्रीमती सुमन कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानान्तर्गत अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन पर दिनांक 03.09.2016 से नियुक्त) जो दिनांक 01.05.2017 से निरन्तर बिना सूचना कार्य से अनुपस्थित है, को ड्यूटी पर उपस्थित होने तथा स्वैच्छिक अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सेवाभिलेख में उपलब्ध निवास पता पता– म.न. सी–35, रीको हाउसिंग कॉलोनी, स्टेट वूलन मिल, श्री गंगानगर रोड़, बीकानेर पर कार्यालय का पत्र कमांक पीएफ(चश्रेक)सपआम/2204 दिनांक 07.06.2017 भेजा गया। साईकल सवार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उक्त आवास–पता पर किरायेदार वास करते है। उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर भी श्रीमती सुमन कंवर से सम्पर्क नहीं साधा जा सका। अतः बीछवाल थाना के सिपाही श्री मीणा की सहायता से उक्त पत्र उनके उक्त आवास पर दिनांक 19.06.2017 को चस्पा किया गया। इसके बावजूद श्रीमती सुमन कंवर द्वारा न तो कार्यपर उपस्थिति प्रस्तुत की गई है और न ही कोई सूचना भेजी गई है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से उक्त श्रीमती सुमन कंवर को सूचित किया जाता है कि समाचार–पत्र में नोटिस प्रकाशित होने की दिनांक से आगामी 15 (पन्द्रह) दिवस में या उससे पूर्व ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय निर्णय लिया जाकर उसकी राजकीय सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

प्रधानाचार्य,
स0प0आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
बीकानेर।